

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-2) विभाग।

क्रमांक:-एफ.27(क)(9)गृह-2/2019

जयपुर दिनांक 11.05.2020


:- अधिसूचना :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में निम्नांकित गांवों को उनके वर्तमान थानों से हटाकर उनके सामने अंकित पुलिस थानों की अधिकारिता में स्थानान्तरित किए जाने की घोषणा करती है:-

क सं.	गाँव/क्षेत्र का नाम	वर्तमान			स्थानान्तरित		
		थाना	सर्किल	उपखण्ड	थाना	सर्किल	उपखण्ड
1	करालो	मण्डफिया	भदोसर	बडीसादडी	निकुम	बडीसादडी	बडीसादडी
2	बिहारीपुरा	मण्डफिया	भदोसर	डूंगला	मंगलवाड	बडीसादडी	डूंगला

यह अधिसूचना इस विषय पर इसके पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. जिला नजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़।
5. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)